



नम्बर व त  
अहकाम ज  
हुक्म की त  
में जारी

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा  
पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

### उनवान

- रंगलाल पुत्र भौरया, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी (मृतक)  
1/1 ओमी पुत्र रंगलाल, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी  
2. कमलेश पुत्र रंगलाल, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी  
3. उगन्ती बेवा रंगलाल, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी

—वादीगण

### बनाम

1. लच्छा पुत्र नारायण, ब्राह्मण, निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी  
2. लैम्ह होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापूर सिटी  
3. धन्तूरी पत्नि कवरिया, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी  
4. भरोसी पुत्र कवरिया, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी  
5. निर्वाज पुत्र कवरिया, कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापूर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 38/2009

वादी की ओर से वादी ओमी, उगन्ती की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी लच्छा, धन्तूरी, भरोसी, निर्वाज की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के सम्म अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद विद झा करने की अनुमति दी जाती है एवं तहसीलदार गंगापूर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं के नेतृत्व में एक टीम गठित कर ख0न0 701, 702, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 763 ग्राम तलावडा का दोनो पक्षों की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करावे। सीमाज्ञान में वादीगण की भूमि प्रतिवादी के कब्जे में होने पर प्रतिवादी कब्जा छोड़ेगा एवं प्रतिवादी की भूमि वादीगण के कब्जे में होने पर वादीगण कब्जा छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में वादीगण को नवीन दावा पेश करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। यह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापूर सिटी  
कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

### वाद के खर्चे

| वादी                                  | रूपया | प्रतिवादी                     | रूपया |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1. कलेक्टर के लिए स्टाम्प             | /     | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | /     |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प          |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प           |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस       |       | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय      |       | आदेशिका की तामील              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस<br>आदेशिका की तामील |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| जोड                                   |       | जोड                           |       |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)  
केम्प कोर्ट का स्थान :- दलहौडा

Prakash) 8

**राजीनामा प्रपत्र**

पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 8/6/16

दलहौडा  
शैलाल दास वनाम

लखन दास

संख्या - 38/09

अन्तर्गत धारा

88, 188, 207 R.T Act

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री

शैलाल दास

कि उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो  
गएने बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

हम पक्षकारों के बीच जो 3000 रु का  
दंड का सीमावर्तन करवाये पट्टे पर 53 रु का पत्र के  
अंशकाल 25.01, 202, 253, 254 तथा अंशकाल 255  
258, 259, 260, 263 जो कि य. डो. लखन दास के पत्रों की है का सीमावर्तन  
करवाये गये है। अतः राजीनामा तर्दीक कर मुकदमे को निरन्तरण करने की कृपा करें।  
अतः हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुके हैं। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

शैलाल दास  
मि डाल्जी  
प्रधानाचार्य

के हस्ताक्षर  
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  
तलावड़ा (गंगापुर सिटी) संमाधोपुर

- प्रतिवादी पक्ष 1. लील दा
- 2. निचतरी
- 3. निचतरी
- 4. निचतरी

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर शैलाल दास  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

सरपंच  
ग्राम पंचायत तलावड़ा  
गंगापुर सिटी (गंगापुर)

वादी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी  
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना  
आपको अतः राजीनामा हस्तखाहिश पक्षकार तर्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिराल रहे।

सतीश कुमार शर्मा  
(ह0 सदस्य)  
सडकोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

रवि कुमार शर्मा  
(ह0 सदस्य)  
सडकोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

मुनिदेवयाक  
(ह0 सदस्य)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ..... दोहरा .....

नम्बर मुकदमा..... ३४/०९ .....

उनवान मुकदमा..... श्रीलाल वर्मा .....

बनाम  
मन्दी वर्मा  
वर्मा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा  
करने हेतु।

नहोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/  
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता  
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी


स्थान दोहरा

दिनांक ४/६/१६

श्रीलाल

ली २ व/१

किरज



मिडगंजी

किभयानी

कि

धनुरी